International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 4 Issue 3 || March 2015 || PP 52-56

शिक्षा, मूल अधिकार बनने के बाद कितना सुलभ है ?

डॉ0 विनोद कुमार पाल*
**सहः आचार्य राजकीय महाविद्यालय पचपेड़वा बलरामपुर।*

प्रस्तावना

26 अगस्त, 2009 को भरतीय संसद ने शिक्षा के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से सर्वाधिक प्रतिक्षित कदम था। सर्वप्रथम गोपालकृष्ण गोखले ने 19 मार्च, 1910 को केन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया था। 16 मार्च 1911 में गोखले ने इस प्रस्ताव को केन्द्रीय धारा सभा में विधेयक के रूप में पेश किया, परन्तु यह विधेयक पास नहीं हो सका । सन् 1937 में महात्मा गाँधी ने डॉ0जाकिर हुसैन के साथ मिलकर नई तालिम की अवधारणा प्रस्तुत की, वर्तमान में इसे वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और बेसिक एजुकेशन आदि कई नामों से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत 7–14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी थी। सन् 1966 में कोठारी आयोग ने बच्चों के लिए समान शिक्षा की सिफारिश की। 1986 की नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को सभी को सूचना और संचार क्रान्ति के इस दौर में शिक्षा का बहुत महत्व है। किसी भी राष्ट्र को उन्नति के पथ पर आगे ले जाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। संविधान के 86 वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद् 21 ए के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम अगस्त, 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है। यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा का अधिकार क्रियाशीलताके लिए कानूनी उपबन्ध है न कि कोई जादू की छड़ी है, जो निश्चित रूप से वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाली चुनौतियों को समाप्त कर देगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने स्कूलों में कुछ विशेष रूप से मूल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिसके फलस्वरूप सुविधाहीन स्कूली प्रणाली की कुछ हद तक प्रतिष्ठा बहाल हुई हैं।

शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकारी सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ ही अपने देश को भी विकास की ओर बढ़ाने में योगदान करता है। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है। हमारे देश में यह कहा गया है कि एक अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है।

शिक्षा सभी प्रकार के मानव विकाय व प्रगति का आधार होती हैं। यह समस्त मानव समस्याओं के प्रति सर्वाधिक पैनी हथियार तथा मजबूत ढाल होती है। शिक्षा के अभाव में मानव जीवन अर्थहीन हो जाता है। शिक्षा के माध्यम से हम उस ज्ञान तथा उन कौशलों को ग्रहण करते हैं, जिनसे हम एक सार्थक जीवन व्यतीत करने योग्य बनते हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की कुंजी होती है। बेकन के अनुसार–ज्ञान ही शक्ति है, अर्थात ज्ञान ही मनुष्य, समाज और देश को शक्ति सम्पन्न बनाता है। शिक्षा के द्वारा हम मनुष्य के अन्दर छुपी हुई अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उसका उपयोग समाज एवं देश की भलाई में करते हैं। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की आंतरिक और वाह्य शक्तियों का विकास होता है।

जी.एच.थॉमस के अनुसार–शिक्षा के कारण ही मानव आज सभ्यता के इस ऊँचे शिखर पर पहुँच गया है। शिक्षा ही मनुष्य को असत्य से सत्य की ओर,अंधकार से प्रकाश की ओर,अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरित और निर्देशित करती है।

शिक्षा स्वयं साध्य न होकर व्यक्ति निर्माण का साधन है और व्यक्ति से समाज बनता है। इस प्रकार शिक्षा समाज निर्माण का साधन बन जाती है। शिक्षा ही अज्ञानता से मुक्ति दिला कर समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में अहम् भूमिका निभाती है, क्योंकि शिक्षा से ही वह जान पाता है कि उसके अधिकार व स्वतन्त्रताओं का क्या रूप है? राज्य व समाज के प्रति उसके क्या दायित्व हैं? अधिकारों के हनन को कैसे रोका जा सकता है ? निःसंदेह शिक्षा से व्यक्ति में सकारात्मक, तर्किक व गुणात्मक सुधार आता है। वस्तुतः शिक्षा से ही एक अच्छे नागरिक निर्माण में सहायता मिलती है, इसलिए एक अच्छे समाज निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि तद्नुरूप वांछित शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण किया जाये, क्योंकि शिक्षा वह सशक्त साधन है, जो समाज में परिवर्तन लाता है।शिक्षा को आसानी से प्राप्त होने के लिए एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर प्राथमिक विद्यालय और तीन किलोमीटर की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात कही गयी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की पृष्ठभूमि में कहा गया है कि–संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद् 21ए के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।

कुंजी शब्दः सरकारी स्कूल,निजी स्कूल,शिक्षा,मूल अधिकार।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की मुख्य विशेषताएं:

- 6वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक उसके निकट के प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
- प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- यदि किसी बच्चे को ,राज्य के अन्दर या बाहर एक विद्याालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे अपनी इच्छानुसार स्थानान्तरण का अधिकार होगा।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना न हो, इसका ब्यवस्था किया जायेगा।
- सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के समय कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखा जायेगा।
- केन्द्र एवं राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए धन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।
- इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी नया स्कूल बिना सरकार की अनुमति और प्रमाण पत्र के नहीं खोला जायेगा ।गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलाने पर भारी दंड का प्रावधान होगा।
- शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात 01:30 होगा।
- संविधान में दिये गये मूल्यों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जायेगा।
- प्रशिक्षित अध्यापक ही विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करेंगे और अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित।
- प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नही जायेगा ,निकाला नहीं जायेगा और न ही बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत होगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- जम्मू कशमीर को छोड़कर समूचे देश में लागू।
- वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच के अनुपात में साझा किया जायेगा।
- शिक्षा एवं विद्याालयों की गुणवत्ता बढ़ाना।
- शिक्षकों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करना। बालकों का संरक्षण एवं बाल श्रम को रोकना।
- विद्याालयों में बच्चों के प्रवेश में नौकरशाही की प्रवृत्ति को समाप्त करना।
- शिक्षा में स्थानीय भागीदारी को बढ़ाना। परीक्षाओं के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना।
- स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन समितियों यानी एसएमसी द्वारा किया जाएगा।
- शारीरिक दंड देने, बच्चों के निष्कासन, जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन कार्य के अलावा शिक्षकों के गैर शिक्षण कार्य में तैनाती पर रोक होगी।
- इस तरह के कई प्रावधान इस कानून में हैं जिनसे देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 01 अप्रैल 2010 में लागू हुआ।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के कियान्वयन का विष्लेषण :

एक गैर सरकारी संस्था प्रथम द्वारा 17 राज्यों के करीब ढाई हजार स्कूलो में किये एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 90 प्रतिशत स्कूल शिक्षा का अधिकार कानून के मानकों पर खरे नहीं उतरते है।केवल 45 प्रतिशत स्कूल ही प्रति 30 बच्चो पर एक शिक्षक होने का अनुपात पूरा करते है।डाइस रिपोर्ट 2013–14 के अनुसार शिक्षा के अधिकार कानून के मानदण्डो को पूरा करने के लिए 12 से 14 लाख शिक्षकों की जरूरत है। शिक्षा के अधिकार फोरम की रिपोर्ट के अनुसार बिहार मे 51.51, छत्तीसगढ़ में 29.98, असम में 11.43, हिमाचल में 9.01, उत्तर प्रदेश में 27.99, पश्चिम बंगाल में 40.50 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षित नही है। 35 प्रतिशत स्कूलों में छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय की सुविधा नही है। 22 प्रतिशत विद्यालयों में पानी उपलब्ध नही है।

असर 2014 (Annual Status of Education Report) के अनुसार भारत में निजी स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 51.7 प्रतिशत हो गया है, वर्ष 2010 में यह 30.30 प्रतिशत था।सरकारी विद्यालयो पर आम जन का विश्वास बहुत कम है, इसलिये इस बर्ग के लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों मे पढ़ने के लिए नही भेजते है। सरकारी विद्यालयों मे वही बच्चे पढ़ने के लिए जाते है, जिन्हे किसी भी निजी विद्यालय में प्रवेश नही मिलता या अभिभावक निजी विद्यालय का शुल्क भुगतान करने मे सक्षम न हो। भारतीय संविधान में सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था है।परन्तु सरकारी विद्यालयो में वंचित वर्गो के बच्चे ही पढ़ने जाते है।सम्पन्न वर्ग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों मे पढ़ने के लिए नही भेजते है। गैर सरकारी संस्था असर 2014 (Annual Status of Education Report) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 में कक्षा 3 के 5.3 प्रतिशत बच्चे कुछ पाठ नहीं पढ़ सकते थें, वहीं 2014 में यह अनुपात और बढ़ कर 14.9 प्रतिशत हो गया है। 2009 में कक्षा 6 के 1.8 प्रतिशत बच्चे कुछ भी पाठ नहीं पढ़ सकते थें, 2014 में यह अनुपात बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गया।शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब छात्रों के प्रवेश का प्रावधान है. इसका परीक्षण कुछ राज्यों में किया गया। झारखंडप्रदेश में करीब 1500 से 2000 निजी स्कूल हैं. निजी स्कूल में शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत छात्रों के प्रवेश के आंकड़ों के

मुताबिक साल 2013 में 13263 और साल 2014 में 14,095 छात्रों का प्रवेश हुआ. जो कहीं से भी शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत तय 25 फीसदी सीटों के आस–पास भी नहीं है।

उत्तराखंड– पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आंकड़े और भी चिंताजनक हैं। यहां साल 2013–14 के शैक्षणिक वर्ष में 4417 निजी स्कूलों में कुल 7705 छात्रों का प्रवेश हुआ यानि औसतन हर स्कूल में दो छात्रों को भी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रवेश नहीं हुआ। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 70 फीसदी से ज्यादा दाखिले पांच जिलों देहरादून (2030), उधम सिंह नगर (1853), नैनीताल (836), पिथौरागढ़ (648) और हरिद्वार (597) जिले में हुए, बाकी जिलों में उंगलियों पर गिनने लायक छात्रों का प्रवेश हो पाया।

उड़ीसा– आंकड़ों के लिहाज से निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के प्रवेश का सबसे बुरा हाल उड़ीसा में है। जहां साल 2013–14 में प्रदेश सरकार ने 941 छात्रों की पढ़ाई का खर्च निजी स्कूलों को दिया। उससे पहले 2012–13 में भी 941 छात्रों का प्रवेश निजी स्कूलों में हुआ, जबकि प्रदेशभर में निजी स्कूलों की संख्या 4,469 है। भारत सरकार के शिक्षा का अधिकार कानून तो बना दिया. उसमें कई ऐसे प्रावधान दिए जिससे देश में शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बनाया जा सके।. लेकिन कानून बनने के बावजूद बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है. राज्यों के आंकड़े जानकर आप हकीकत खुद जान जाएंगे.

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसमें निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक और माध्यमित शिक्षा के साथ–साथ हर इलाके में एक स्कूल का प्रावधान है। इसके अंतर्गत एक स्कूल निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिये स्कूल की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगी। इससे बाल मजदूरी पर भी रोक लग सकती है क्योंकि इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जरूरी मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, ऐसे में इस आयु वर्ग के बच्चों के बाल मजदूरी करने पर रोक लगेगी। गरीबों के लिए दूर की कौड़ी माने जाने वाले निजी स्कूलों में भी 25 फीसदी सीटें उनके लिए होंगी। सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित रखने का नियम तो बना दिया लेकिन देश के ज्यादातर निजी स्कूल इस नियम की उपेक्षा करते हैं। कई राज्यों में अभिभावकों की शिकायत कोर्ट में भी पहुंची लेकिन निजी स्कूलों का मनमाना रवैया जारी है,जिसकी गवाही देश के अलग–अलग राज्यों के आंकड़े दे रहे हैं।निजी स्कूल मनमानी फीस के लिए कुख्यात हैं। 25 फीसदी सीटें गरीब छात्रों को देने पर उनकी आय पर फर्क पड़ना लाजमी है। सवाल है कि आखिर ऐसे निजी स्कूलों पर कब नकेल कसी जाएगी, जो मनमानी फीस वसूलने के साथ–साथ सरकार के द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए बनाए कानूनों की अनदेखी करते हैं।

शिक्षा किसी व्यक्ति, परिवार, समाज और देश के उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बकायदा हर देश और राज्य की तरफ से सालाना बजट रखा जाता है. भारत सरकार ने भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू किया. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को अप्रैल 2010 में लागू किया गया. जिसके बाद 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया. देश भर लागू इस कानून को हर राज्य सरकार अपनाने का दावा तो करती है लेकिन कानून बनने के बाद भी शिक्षा का अधिकार मूर्तमान नही हो पा रहा ळें

बिहार– सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 72,663 स्कूल हैं, इनमें से 70,500 सरकारी और 2063 निजी स्कूल हैं। साल 2013–14 में शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेश भर में 25,498 छात्रों का प्रवेश हुआ है।
महाराष्ट्र–सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2013–14 में महाराष्ट्र के 9,331 स्कूलों में 1,15,455 सीटों के लिए 2,91,368 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से करीब 40 हजार छात्रों का प्रवेश हो पाया। इसी तरह 2013–14 में 96,684 सीटों के लिए 2,22,584 आवेदन मिले, अब तक 82,129 छात्रों का प्रवेश मिला।
कर्नाटक– 2012–13 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 62 हजार से अधिक प्राथमिक और करीब 16 हजार माध्यमिक स्कूल हैं। यहां साल 2013–14 में सिर्फ 11,500 छात्रों के आवेदन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आवेदन आए जबकि 6741 छात्रों का प्रवेश हुआ।
केरल– प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कुल 14 जिलों में वर्ष 2013–14 में सरकारी और निजी कुल 15,892 स्कूलों में 47,38,052 छात्र हैं। प्रदेश सरकार के मुताबिक केरल में पहली से आठवीं तक के सभी प्रवेशशिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ही दिए जाते हैं, फिर चाहे सरकारी स्कूलों में हों या फिर निजी स्कूलों।इन कुछ राज्यों के आंकड़े शिक्षा के अधिकार सम्बन्धीकानून की हकीकत बयां कर रहे हैं।

कियान्वयन में चुनौतियॉ :

1.शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या भाषा है।जिन छात्रो की मातृभाषा हिन्दी छोड़कर अन्य भाषा होती है, उन्हे हिन्दी में लिखी पुस्तको को पढनें और समझने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उनको अन्य भाषा मे दक्षता हासिल करने में लगभग आठ साल लग जाते है।
2.सभी सरकारी स्कूलो में अति आवश्यक शौचालय जैसी मूल–भूत सुविधा भी उपलब्ध नही हैं। छात्राओं के लिये पृथक शौचालय की सुविधा भी केवल 49 प्रतिशत स्कूलों में ही उपलब्ध है,जिसके कारण किशोर लड़कियॉ सरकारी स्कूली शिक्षा का त्याग कर रही है।
3.केवल 43 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में विद्युत की सुविधा उपलब्ध है, फलस्वरूपसहजता से शिक्षा उपलब्ध कराने में कठिनाई पैदा होता है।
4.अधिकांश माता–पिता को अधिनियम के दिशा निर्देश का ठीक तरह से जानकारी न होने के कारण वे अपने बच्चों के लिए अधिकारों की न तो मांग और न ही उपभोग कर पाते है।
5.देश के अधिकांश विद्यालय मानते है कि शिक्षा का अधिकार कानून के अन्तर्गत 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके स्कूल के शैक्षिक स्तर और परीक्षा परीणाम में गिरावट आयेगा। फलस्वरूप गरीब बच्चों के प्रवेश को हतोत्साहित करते है।
6.सरकार निजी विद्यालयो को समय से गरीब बच्चों के प्रवेश प्रतिपूर्ति का भुगतान नही किया जाता है, फलस्वरूप विद्यालय गरीब बच्चों के प्रवेश में बिभिन्न प्रकार से बाधा उत्पन्न करते है।
7.शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अनाथो,विकलांगो,भिखारियों आदि के लिये पृथक से रक्षोपाय का उल्लेख नही है।

सफलता के लिए सुझाव :

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हेतु इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया,सोशल मीडिया,स्थानीय संभ्रांत व गणमान्य जनो के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाया जाय।
- अधिनियम के आलोक मे स्कूलो का नियतकालिक निगरानी सत्त किये जाने का उपबन्ध होना चाहिए।
- स्कूलो के निगरानी हेतु अत्याधुनिक ऑनलाइन प्रबन्धन प्रणाली का अनुप्रयोग किया जाना चाहिए।
- स्कूलो मे आधारभूत सुबिधा पर जोर दिया जाना चाहिए, इसके साथ ही अध्ययन की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है।
- अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यापक कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए, अध्ययन की गुणवत्ता जॉच हेतु स्वायत्त संस्था का गठन किया जाना चाहिए।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25 प्रतिशत सीटो पर प्रवेश न देने वाले निजी स्कूलो पर कठोर कानूनी कार्यवाही किया जाना चाहिए।
- स्कूलो मे शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा ही होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान शिक्षा दिया जाना चाहिए।
- शिक्षकगण से गैर शैक्षिक कार्य न लिया जाय।

- स्कूलो में शुल्क एक समान होना चाहिए और प्रवेश भौगोलिक रूप से नजदीक के स्कूल में ही होना चाहिए।
- 6 से 14 वर्ष के बच्चो को स्कूल में प्रवेश व अध्ययन सुनिश्चित करना अभिभावकगण के लिए भी वैधानिक रूप अनिवार्य बनाया जाय, ताकि बच्चे स्कूल पहुचने से बंचित न रहे।

निष्कर्ष :

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के फलस्वरुप प्रशिक्षित शिक्षक, बुनियादी सुविधाओं और एक बेहतर शैक्षणिक आधारभूत संरचनाओं के लिए शिक्षा को काफी प्रेरित किया है।शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा अब हर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस कानून द्वारा अब बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्कूल विकास एवं निगरानी समिति (एसडीएमसी) अब एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई है और यह बाल शिक्षा के बारे में माता–पिता के विचारों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा हैं। कई ऐसे निजी विद्यालय हैं जहां गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत स्थान भरने के लिए अलग से कक्षा बना दी गई है। इस अधिनियम द्वारा निजी विद्यालयों को अब किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस न लेने की अनिवार्यता है एवं विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की भेदभाव करने पर भी रोक है। विद्यालयों एवं अध्यापकों द्वारा किसी भी प्रकार के दंड या मानसिक प्रताड़ना देने के प्रावधान के फलस्वरुप छात्र–छात्राओं में विद्यालय जाने और अध्ययन में रुचि पैदा हुई है। यह कानून सार्वभौमिक शिक्षा के मध्येनजर बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं, जिनका उल्लेख ऊपर वर्णित है। इन चुनौतियों को अगर सरकार द्वारा दूर कर दिया जाएगा तो निश्चित ही भारत में शत प्रतिशत साक्षरता होगी जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 है।

संदर्भ ग्रंथ

1.अग्रवाल, जी0 सिंह 2010 राइट टू एजुकेशन एंड रिवाइटलाइजिंग एजुकेशन नई दिल्ली शिक्षा पब्लिकेशन।
2.दास, ए0(2010), राईट टू एजुकेशन, नई दिल्ली एक्सिस पब्लिकेशन।
3.गुप्ता, एस0पी0 एवं अलका (2009), भारतीय शिक्षा की इतिहास, विकास एवं समस्यायें शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद ।
4.मिश्रा एस0 के0(2014) भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के क्रियान्वयन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, डॉक्टोरल डिजर्टेशन, वनस्थली विद्यापीठ।
5.सिंह, ए0 के0(2009) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियॉ, दिल्ली मोतीलाल बनारसीदास।
6.शर्मा, के0(2012)शिक्षा के अधिकार कानून का आकलन, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका अंक 11 सितंबर 2012 पृष्ठ संख्या 8–11।
7.श्रीवास्तव, ए0आर0एन0(2002), भारतीय सामाजिक समस्याये, के0के0 प्रकाशन एकेडमी प्रेस, इलाहाबाद।